भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग पर परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु ई–निविदा सूचना।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित डेयरी संयंत्र से डेयरी संयंत्र, भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग पर दूध एवं दुग्ध उत्पादों के इंसुलेटेड वाहन (मॉडल निर्माण वर्ष 2016, क्षमता 350 क्रेट) द्वारा साँची दूध के परिवहन कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से परिवहनकर्ता नियुक्ति के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।)

इच्छुक पार्टी/व्यक्ति निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://mptenders.gov.in से रू.1000/– के भुगतान पर क्रय कर दिनांक 19.10.2021 दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 10.11.2021 दोपहर 01:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते है। ऑनलाईन अपलोड किये गये तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेजों को भौतिक रूप से तथा ऑनलाईन जमा की गई निर्धारित ई.एम.डी राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) की पावती भी भौतिक रूप से दिनांक 11.11.2021 को दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऑनलाईन निविदा मान्य नहीं की जाएगी।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 11.11.2021 को दोपहर 03:00 बजे से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे। निविदा संबंधी शर्तें, मार्ग एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की वेबसाईट http://www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। **ई–निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नही होगा। अतः निविदाकर्ता निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। वर्तमान में दुग्ध संघ से वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्राईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस ई–निविदा में निविदा प्रस्तुत करने हेतु भोपाल दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**
किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 10.11.2021 दोपहर 01.00 बजे तक**
2	ऑनलाईन अपलोड किये गये तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज़ भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**दिनांक 11.11.2021 दोपहर 01.00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	**दिनांक 11.11.2021 अपरान्ह 03:00 बजे** भोपाल दुग्ध संघ स्थित बोर्ड मीटिंग हॉल
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	**रू. 1,00,000/– (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	वितरक सह–परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	.''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03

भौतिक निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- **धरोहर राशि (EMD) की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।**
- **प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्ते'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''B''– प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।**
- **उक्त दोनों ''A'' एवं ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 11.11.2021 दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तो का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।**
- **निविदा प्रपत्र कमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।**
- **भाव पत्र सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा।**

टिप्पणी :—

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1. **निविदा कार्य अवधिः—**

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2021—2024 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. **न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण**

स.क्र.	विवरण	स. क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑनलॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे एवं भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	अनिवार्य अर्हताऐं—		**अनिवार्य दस्तावेज**
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व / फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.03** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें एवं भौतिक रूप से भी प्रस्तुत करें। फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो, संलग्न करें। स्वामी / प्रोप्राईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम. डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाईन जमा होना चाहिये।	4.5	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18 एवं 2018—19 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016—17, 2017—18 एवं 2018—19 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	निविदा शुल्क जमा किया हो।	4.8	निविदा फार्म क्रय किये जाने / वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से

6. <u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mptenders.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार रूपये मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	**निविदाकार का स्वरूप**	**निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)**
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

आवश्यक अर्हताऐं।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत डेयरी संयंत्र, डेरी संयंत्र भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग में साँची दूध एवं दूध पदार्थों के परिवहन कार्य हेतु दिनांक...................... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। मै/हम दुग्ध संयंत्र, भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़ मार्ग हेतु यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र /पार्टनरशिप डीड/ पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	**उपलब्ध इंसुलेटेड वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2016 क्षमता 350 क्रेट**। नया वाहन क्रय करने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध कराने हेतु रू.100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू.100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
4.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक सलंग्न करें।
5.	**दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरण कार्य हेतु वैध FSSAI लाईसेंस अथवा लाईसेंस हेतु आवेदन/रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।**		वैध FSSAI लाईसेंस अथवा लाईसेंस हेतु आवेदन/ रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई. एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें।
7.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं किसी भी थाने में		निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।

	आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		
8	वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें।
9	**(सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी उत्पादों के वितरण के कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।**		**दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरण के कार्य का अनुभव संबंधी रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।**
10	वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/ वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व निविदा प्रस्तुत कर रहें है तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट ''ब'' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

नोट :–

1. **उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।**
2. **उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।**
3. **कार्य आवंटन के पूर्व प्रस्तुत उपरोक्तानुसार दस्तावेज़ों की छायाप्रतियों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।**

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :– ——————————————

——————————————

पता :– ——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नं.——————————————

मोबाईल नं ——————————————

साँची दूध एवं दूध उत्पाद परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. **निविदाकार के पास स्वयं का इन्सुलेटेड वाहन क्षमता 350 क्रेट, मॉडल निर्माण वर्ष 2016 या उसके बाद का पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्सुलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।**
3. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
4. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृती उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रू.300000/– (रू. तीन लाख मात्र) जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा डीडी के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृती उपरांत ईएमडी राशि, सुरक्षा निधि राशि में समायोजित होगी। तदउपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
5. **यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।**
6. **निविदाकार के पास दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी उत्पादों के वितरण कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरण के कार्य का अनुभव संबंधी रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।)**
7. **ऐसे निविदाकार जो तकनीकी बिड में सफल पाए जाएंगें को ई–निविदा में प्रस्तुत दस्तावेज़ों का परीक्षण मूल दस्तावेज़ों से कराना होगा, तदोपरांत ही उनकी वित्तीय बिड खोली जाएगी।**
8. निविदाकार को निविदा के साथ रू.100,000/– (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।
9. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी राशि) राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
10. निविदाकार को दरें केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
11. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास निहित होगा।
12. **निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
13. परिवहन कार्य संपादित करने हेतु सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि समाप्ति के पूर्व केन/क्रेटस दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा केन/क्रेटस बकाया होने पर तत्समय प्रचलित क्रेटस के मूल्य के अनुसार गणना कर निविदाकर की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लिया जावेगा।
14. निविदाकार निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट क्र.04 के अंतर्गत अपना परिचय अनिवार्य रूप से भरकर संलग्न

करें।

15. **निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा कि दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है एवं एमपीसीडीएफ अथवा उससे सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है तथा निविदाकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।**
16. **वर्तमान वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता जिनके उपर संघ की किसी भी मद में राशि/क्रेट लेना बकाया है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जाएगी।**
17. **निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।**
18. निविदाकार द्वारा **परिवहन दरें** वर्तमान में प्रभावशील डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाए। अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसे स्वीकृत परिवहन दरों में सामानुपातिक रूप से प्रभावशील किया जाऐगा।
19. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
20. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
21. भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग पर परिवहन कार्य प्रति कि.मी. पर है। अतः निविदाकार परिशिष्ट क्र.08 का अवलोकन कर उक्त मार्ग पर प्रति कि.मी. की गणना से अपनी लाभात्मकता सुनिश्चित करते हुये समस्त करों, व्यय एवं वर्तमान डीजल की दरों का अनुश्रवण कर दरें प्रस्तुत करें। निविदा अवधी में स्वीकृत दरों पर ही देयको का भुगतान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त निविदाकार की ओर से पृथक से कोई भी दरें मान्य नही होगी। मार्ग का विवरण परिशिष्ट क्र. 08 पर वर्णित है।
22. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल टैक्स का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु सफल निविदाकार द्वारा किये गये टोल टैक्स के भुगतान संबंधित कम्पनी से प्रमाणित करायेंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणिकरण होने के पश्चात् उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
23. **यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।**

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 22 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी निविदा निरस्त कर अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी.) राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) प्रति कि.मी. रूपये	परिवहन दरें (शब्दों में) रू प्रति कि.मी.
1.	दुग्ध संयंत्र भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग, दूरी आना–जाना 370 कि.मी, इंसुलेटेड वाहन, मॉडल निर्माण वर्ष 2016 या उसके बाद का पंजीकृत होना अनिवार्य है, क्षमता 350 क्रेट		

नोटः– निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी।

निविदाकार का परिचय

स्वयं का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो लगावें।

1. निविदाकार का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थाई/वर्तमान पता ....

   ....

   ....
4. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल एड्रेस ....
6. परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम ....
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....

   ....
8. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....

   ....
9. (अ) पेन नम्बर ....

   (ब) FSSAI ....

   (स) आधार कार्ड नम्बर..
10. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर ....

   (समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

परिशिष्ट क्र.''अ''

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

नाम	–	....
पिता	–	....
आयु	–	....
निवासी	–	....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा मार्ग क्र. .... हेतु दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा मार्ग क्र. .... हेतु दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य के लिए ई–निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि :–

1. मैं भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूं।
2. मुझें एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>**सत्यापन**</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट ''ब''

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स ...., सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के आदेश क्र. .... दिनांक .... द्वारा दुग्ध वितरक/दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता/दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता/घी वितरक...................................... के रूप में कार्यरत है। इनकी कार्य अवधि दिनांक .... तक प्रभावशील है। श्री/मेसर्स .... का कार्य संतोषप्रद है। अतः श्री/मेसर्स....................... को दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा .... कार्य हेतु जारी निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई में भाग लेने हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल भोपाल दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा जारी .... कार्य हेतु निविदा/आवेदन/ई.ओ.आई के लिये जारी किया जा रहा है, अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं।

प्रभारी (विपणन)

<u>साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकार्य अनुबंध प्रारूप</u>

<u>दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन /वितरण हेतु अनुबंध–प्रपत्र (ग्रामीण विपणन)</u>

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल एवं श्री .... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेंगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :–

द्वितीय पक्ष द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल के **<u>दुग्ध संयंत्र भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर</u>** मार्ग के समस्त वितरण केन्द्रो तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अनुबंधित वाहन क्रमांक ....से प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई–निविदा में निविदा प्रस्तुत किया है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तो पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा पर परिवहन दर रू. .... प्रति कि.मी. स्वीकार किया गया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी तरह की न्यायलयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने इंसुलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए केन्द्रो में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा, इसके अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन तय किलोमीटर से अधिक चलता है तो उसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
3. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों पर वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रो पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर भोपाल डेरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की वर्तमान प्रचलित क्रेटों की दरों पर गणना कर उतनी कीमत की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रो पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध पैकेटस् एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा द्वितीय पक्ष को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी एवं यदि दुग्ध पैकेटस् में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
5. (1) यह कि द्वितीय पक्ष इंसूलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारीश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/दूसरा इंतजाम करके वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से कटौत्रा कर वसूल किया जायेगा।

   (2) वैकल्पिक मार्ग से अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर प्रथम पक्ष की स्वीकृती पश्चात् किया जा सकेगा। अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह द्वितीय पक्ष से वसूली नियमानुसार योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त की जा सकेगी।

6. यह कि वाहन की खराबी अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद खराब होने/दुग्ध वापस आने पर या टूट फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष से वसूल किया जावेगा।

9. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेंगी।

9.1 द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटे दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में वर्तमान प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटो की राशि काट ली जावेगी।

9.2 द्वितीय पक्ष खाली क्रेटो का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।

9.3 दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को प्रदाय करेगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।

10. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेटस् एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जावेंगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

11. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

12. **यह** कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत्प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथ की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।

13. यह कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया ावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

14. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रूपये 500/– (रूपये पांच सौ रूपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

15. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी इंसूलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। यदि 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा मे अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

16. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नही करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रू.5000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार–बार पुर्नरावृत्ति होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

17. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। परिवहन देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नही किया जावेगा।

18. वाहन चालक एवं अटेन्डेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभ्रद व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/ प्रभारी डेयरी डाक विपणन द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।

19. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक .... से .... तक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

20. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

21. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/– द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।

22. **यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।**

23. **यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष (परिवहनकर्ता) की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं औसतम 10 किलोमीटर के आधार पर की जाऐंगी ।**

24. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

25. दुग्ध की माँग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की माँग होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा दुग्ध उत्पाद न ले जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को रूपये 1000/– प्रतिदिन अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। बार–बार पुर्नरावृत्ति होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

26. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष भुगतान किये गये टोल टैक्स संबंधित टोल कम्पनी से प्रमाणित

करायेंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

27. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध वितरण समय पर करना अनिवार्य होगा।

28. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

29. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किये गये वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।

30. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 ''साँची दूध एवं दूध उत्पाद परिवहन कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें'' में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाऐंगी।

31. **दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।**

मैं .... पिता/पति/पत्नी... वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.. को घोषित करता/करती हूँ।

वितरक सह–परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम...

पता...

....

1.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः–..................................

....

....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः–.....................................

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

भोपाल से नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर मार्ग– ग्रामीण विपणन

		परिवहन कार्य प्रति कि.मी. दूरी आना–जाना 370 कि.मी
1	परवलिया	
2	श्यामपुर	
3	नवोदय विद्यालय श्यामपुर	
4	कुरावर	
5	नरसिंहगढ	
6	राजगढ	
7.	राजगढ़ जेल एवं हास्पिटल	
8.	खिलचीपुर	
नोट	1. 350 क्रेट क्षमता का इन्सूलेटेड वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2016 के हो या उसके बाद के पंजीकृत होना अनिवार्य है। 2. 01 क्रेट = 10 लीटर	